Dr.Raman Kumar Thakur

Asstt. Prof.(Guest) Department of Economics,D.B.College, Jaynagar, Madhubani.

Class:-B.A.part-1(Hons) Paper-2ndDate:-12-08-2020.LECTURE N.-11.

Topic:- भारत में योजना निर्माण की प्रक्रिया(Planning Formulation-Process in India):- भारत में योजना-निर्माण का कार्य भारतीय योजना आयोग द्वारा किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय योजना में एक ओर केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाएं तथा दूसरी और निजी क्षेत्र की योजनाएं सम्मिलित होती है। भारत में योजना स्वीकार किए जाने से पूर्व निम्नलिखित अवस्थाओं से होकर गुजरती है:-

1) सामान्य दिशा निर्देश:- प्रथम अवस्था में योजना निर्माण हेतु सामान्य दिशा निर्देश पर विचार किया जाता है योजना प्रारंभ होने के लगभग 3 वर्ष पूर्व से ही योजना आयोग अर्थव्यवस्था की तत्कालीन स्थिति का अध्ययन विश्लेषण करता है और अवरोध उपस्थित करने वाले आर्थिक सामाजिक तथा संस्थागत कारणों को दूर करने हेतु सुझाव देता है।

2). विभिन्न अध्ययन और ड्राफ्ट मेमोरेंडम का निर्माण:- योजना निर्माण के द्वितीय अवस्था में विभिन्न प्रकार के अध्ययनों का आयोजन किया जाता है। यह अध्ययन ही योजना के लिए 'ड्राफ्ट मेमोरेंडम' का आधार बनते हैं। इन अध्ययनों के लिए अनेक कार्यशील दलों(Working Groups) को संगठित किया जाता है। इन कार्यशील दलों में योजना आयोग और केंद्रीय मंत्रालय से तकनीकी सलाहकारो और

प्रशासक विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक दल को अर्थव्यवस्था के किसी विशेष क्षेत्र के अध्ययन का कार्य सौंपा जाता है।

3). ड्राफ्ट प्रारूप का निर्माण:- इस अवस्था का संबंध 'ड्राफ्ट आउटलाइन' के निर्माण से है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों तथा परिवर्तन आदि के आधार पर योजना की ड्राफ्ट आउटलाइन तैयार की जाती है ड्राफ्ट मेमोरेंडम की अपेक्षा यह अधिक व्यापक और बड़ा दस्तावेज(Memorandum) होता है, विश्व में विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं का ब्यौरा तथा मुख्य नीति संबंधी विषय उद्देश्य और उनकी प्राप्ति के तरीके दिए होते हैं।

4). राज्य सरकारों से विचार-विमर्श इस बीच जब की योजना के इस प्रारूप पर देश भर में विचार होता रहता है योजना आयोग विभिन्न राज्यों से उनकी योजनाओं के संबंध में विस्तृत वार्तालाप करता है वार्ता के मुख्य विषय उनके विकास की सविस्तार योजनाएं, वित्तीय संसाधन और अतिरिक्त साधनों के जुटाने संबंधी उपाय आदि होते हैं।

5).नया मेमोरेंडम :- इस अवस्था की मुख्य बात योजना आयोग द्वारा योजना के संबंध में नया मेमोरेंडम तैयार करना है, जो राज्य सरकारों के साथ सविस्तार वार्तालाप, जनता और संगठित संस्थाओं द्वारा की गई समीक्षा तथा विभिन्न पैनल एवं कार्यशील दलों द्वारा दिए गए विस्तृत सुझावों के आधार पर तैयार किया जाता है।

6). योजना को अंतिम रूप दिया जाना :- केंद्रीय मंत्रिमंडल और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा लिए निर्णयो के आधार पर योजना

आयोग योजना की अंतिम रिपोर्ट तैयार करता है या अंतिम रिपोर्ट बहुत व्यापक होती है और इसमें योजना के उद्देश्य नीतियों कार्यक्रम और परियोजनाओं का विस्तृत वर्णन होता है यह अंतिम योजना पुनः केंद्रीय मंत्रिमंडल और राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है जिसकी सहमति के पश्चात इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

7).. योजना निर्माण भारत में उपरोक्त प्रकार से ऊपर से केंद्र द्वारा योजना बनाने के साथ-साथ संगठन की निचली इकाइयों की आवश्यकताओं उनके द्वारा लक्ष्यों के मूल्यांकन तथा सुझावों के अनुसार सरकार इस योजना में परिवर्तन या संशोधन करती है विभिन्न राज्यों जी लो और विकास खंडों द्वारा योजना के प्रारूप में निर्धारित व्यापक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए योजनाएं तैयार करने के लिए कहा जाता है उनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करके अंतिम योजना में समायोजन कर लिया जाता है ।

8). समय-समय पर पूर्वावलोकन:- योजना निर्माण में काफी समय लगता है और इस बीच तथा योजना की पंचवर्षीय अवधि में भी परिस्थितियों में परिवर्तन हो सकता है । अतः योजना आयोग एक बार पंचवर्षीय योजना बना देने के पश्चात भी देश और अर्थव्यवस्था में समय-समय पर होने वाली परिवर्तनों पर निगरानी रखता है, तत्संबंधी अध्ययन करता है और आवश्यकतानुसार योजना में परिवर्तन और संशोधन करता रहता है। इसके अतिरिक्त पंचवर्षीय योजना को वार्षिक योजनाओं में विभाजित कर दिया जाता है।